वाराणसी विकास क्षेत्र, वाराणसी

अनुमति-पत्र

सं0 180 /न0 अ0 वि0 दिनांक 11.8.14

गृह निर्माणार्थ अनुमति–पत्र

यह अनुमति केवल उ0 प्र0 नगर योजना और विकास अधिनियम 1973 की धारा 14 के अन्तर्गत दी जाती है, किन्तु इसका अर्थ यह न समझा जाना चाहिए कि उस भूमि के सम्बन्ध में जिस पर मकान बने इस किसी प्रकार या किसी स्थानीय निवास या स्थानीय अधिकारी या व्यक्ति अथवा फर्म के मालिकाना अधिकारों पर किसी का कोई असर पड़ेगा अर्थात यह अनुमति किसी के मिल्कियत या स्वामित्व के अधिकारों के विरुद्ध कोई प्रभाव न रक्खेगी।

निम्नलिखित प्रतिबन्धों के आधार पर अनुमति दी जाती है कि श्रीमती/श्री बालाजी इन्फ्रा केयर प्रा० लि० वजरिये डायरेक्टर श्री ओमकार नाथ माहेश्वरी व श्रीमती रजना देवी माहेश्वरी पिता/पति का नाम श्री........................ आराजी संख्या 250 व 251(अंश) मौजा ....लरवीपुर वार्ड भेलूपुर में नक्शे में दर्शित स्थान पर जो प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत किये गये हैं, उपाध्यक्ष के चिन्हित भवन चित्र अनुसार निर्माण अथवा पुनः निर्माण किया जाय।

मुहर

उपाध्यक्ष
02/14 गृ०अ०
विन्यास
विकास प्राधिकरण, वाराणसी

दिनांक.........................20

11/8/14

नगर अभियन्ता (भवन)
विकास कृते उपाध्यक्ष, वाराणसी
वाराणसी विकास प्राधिकरण
वाराणसी

नोट : 1– यह स्वाकृति पत्र केवल 5 वर्ष की अवधि के लिए है। यदि इमारत आज्ञानुकूल नहीं बनी तो उपाध्यक्ष द्वारा उसे गिरवाया जा सकता है अथवा ऐसे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है जो कि समुचित समझा जावे। इसका पूर्ण व्यय का भार प्रार्थी पर होगा। यदि कोई इमारत बिना उपाध्यक्ष की अनुमति प्राप्त किये निर्माणित अथवा पुनः निर्माणित होगा तो उसके निर्माणकर्ता को दण्ड दिया जायेगा अथवा इस प्रकार के अवज्ञामय इमारत को उपाध्यक्ष द्वारा हटवा दिया जायेगा और उसके हटाने के खर्च का भार उस इमारत बनाने वाले से वसूल किया जायेगा।

2– इस अनुमति पत्र में सड़क, गली या नाली पर बढ़ाकर प्रोजेक्शन जैसे कि पोर्टिको, बारजा, तोड़ा, सीढ़ी, झाँप नये अथवा पुराने निर्माण को तोड़कर उस जगह फिर से नये निर्माण की स्वीकृति चाहे उसके साथ नक्शे में दिखाई भी हो, नहीं प्रदान की जायेगी। इन निर्माणों के लिए प्राधिकरण अधिनियम की धारा 293 के अनुसार अनुमति प्राप्त करना होगा।

3– मकान निर्माण से यदि नाली, सड़क की पटरी अथवा सड़क या नाली के किसी भाग (जो मान के अगवाड़े पिछवाड़े अथवा उसके आकार के कारण ढक ली गई हो) को हानि पहुँचे तो यह गृह स्वामी को गृह तैयार हो जाने पर................ दिन के भीतर अथवा यदि प्राधिकरण ने एक लिखित सूचना द्वारा शीघ्र कहा हो तो पहिले उसे अपने खर्चे से मरम्मत कराकर पूर्ववत् अवस्था में जिससे प्राधिकरण को सन्तोष हो जावे, में कर देना होगा।

4– गृह निर्माण के समय इसका भी ध्यान रखना होगा कि भारतीय विद्युत अधिनियम 1973 (अधिनियम इलेक्ट्रिसिटी रूल्स के नियम 1970) का उल्लंघन किसी दशा में न होना चाहिए। यदि उपाध्यक्ष की जानकारी में ऐसे मामले पाये गये तो वह निर्माण को रोक अथवा हटा सकता है।

5– प्रार्थी को नियमानुसार उपाध्यक्ष को मकान के पूर्ण हो जाने की सूचना मकान समय के भीतर पूर्ण होने के पश्चात 15 दिन के अन्दर देना होगा यदि सूचना दी गई तो यह समझा जायगा कि मकान पूर्ण हो गया।

6– यह अनुमति यदि किसी कारणवश नजूल, प्राधिकरण अथवा जमीनदारी उन्मूलन के भूमि पर निर्माण हेतु दे दी गई हो तो वैध न मानी जायगी और प्राधिकरण को अधिकार होगा कि ऐसे भूमि पर निर्मित भवन आदि हटा दे जिसका कोई हर्जाना प्राधिकरण द्वारा देय न होगा। इसलिए भूमि स्वामी अपनी भूमि के सम्बन्ध में पूर्ण जानकारी प्राप्त करके तभी निर्माण कार्य प्रारम्भ करें।

7– यदि अविकसित क्षेत्र के हेतु किसी प्रकार अनुमति दे दी गई तो वह भी वैध अनुमति पत्र नहीं माना जायेगा तथा ऐसे निर्माण कार्य को विध्वंश कर दिया जायेगा जिसका कोई हर्जाना नहीं दिया जायेगा।

शर्तें :—

1. पक्ष को भूखण्ड पर प्रति हेक्टेयर 50 पेड़ की दर से 11 पेड़ लगाना होगा।
2. रेन वाटर हार्वेस्टिंग का प्राविधान मानक के अनुसार स्थल पर करना होगा साथ ही साथ रू0 50,000.00 का एफ0डी0आर0 जमानत स्वरूप पॉच वर्षो हेतु सचिव, विकास प्राधिकरण के पक्ष में बन्धक जमा करना होगा।
3. स्थल पर सम्पूर्ण निर्माण कार्य पूर्ण होने पर अग्नि शमन विभाग द्वारा प्राप्त अनापत्ति में वर्णित शर्तो के अनुसार पक्ष/आवेदक को तत्समय उक्त निर्देशों को क्रम में वर्णित शर्तो का पालन करना अनिवार्य होगा।
4. स्थल पर सम्पूर्ण निर्माण कार्य पूर्ण होने पर पक्ष/आवेदक को पूर्णता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। बिना पूर्णता प्रमाण पत्र प्राप्त किये भवन अथवा भवन के किसी अंश भाग का उपयोग/उपभोग कदापि नहीं किया जायेगा।
5. पक्ष को स्थल पर सोलर वाटर हीटिंग सिस्टम की व्यवस्था सुनिश्चित् करना होगा।
6. पक्ष को एवं आर्किटेक्ट तथा स्ट्रक्चर इंजीनियर को यह सुनिश्चित करना होगा कि निर्माण भूकम्परोधी ही होगा अन्यथा कोई अप्रिय घटना होने की दशा में समस्त जिम्मेदारी पक्ष एवं आर्किटेक्ट तथा स्ट्रक्चर इंजीनियर की होगी।
7. भूखण्ड का क्षेत्रफल 2000 वर्ग मीटर से अधिक है, के सम्बन्ध में मलवा अपने भूखण्ड पर रखेगा।
8. आपको मुख्य अग्निशमन अधिकारी के पत्र दि0 18.05.14 द्वारा निर्गत की गयी अनापत्ति में उल्लिखित शर्तो का शत–प्रतिशत अनुपालन करना होगा।
9. आपको अधीक्षण अभियन्ता विद्युत के पत्र दिनांक 31.05.2014 द्वारा निर्गत की गयी अनापत्ति में उल्लिखित शर्तों का शत प्रतिशत अनुपालन करना होगा।
10. पक्ष को बेसमेन्ट में वेन्टिलेशन की व्यवस्था मैकेनिकल होना मानचित्र में दर्शित है। इसे स्थल पर सुनिश्चित् करना होगा।
11. पक्ष को कुल पार्किंग क्षेत्र का 10 प्रतिशत भाग वीजिटर पार्किंग हेतु आरक्षित किया जायेगा जिसके प्रवेश एवं निकास की उचित व्यवस्था की जायेगी।
12. भू–स्वामित्व सम्बन्धित कोई वाद–विवाद भविष्य में प्रकाश में आने पर मानचित्र स्वतः निरस्त समझा जायेगा जिसकी समस्त जिम्मेदारी पक्ष की होगी।
13. पक्ष को नियमानुसार दिये गये शपथ पत्र दिनांक 30.07.14 का अनुपालन सुनिश्चित् करना होगा एवं अन्य औपचारिकताएं पूर्ण करनी होगी।

11/8/14

नगर अभियन्ता (भवन)
विकास प्राधिकरण, वाराणसी।